उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 1497/सेक–2–पॉच–16–1(3)/2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–3 (वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेड–पे–7600) की चिकित्साधिकारी डा0 मनीषा वर्मा, वरिष्ठता कमांक–6275 के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 22.02.2005 को शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22.04.2015 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त की गयी है। उक्त के दृष्टिगत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर–7(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 मनीषा वर्मा की संयुक्त निदेशक ग्रेड के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत बन्द लिफाफे को खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार उन्हें उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 गीता प्रधान, वरिष्ठता कमांक–6276 की पदोन्नति की तिथि 14.06.2012 से लेवल–4, संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– डा0 मनीषा वर्मा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1497 (1)/सेक–2–पांच–16, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6– प्रमुख अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ।
7– कोषाधिकारी, मेरठ।
8– संबंधित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9– चिकित्सा अनुभाग–3।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।